

2013 का विधेयक संख्याक 35

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन)
संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4-ख का संशोधन।
4. धारा 4-खख का संशोधन।
5. धारा 5 का संशोधन।
6. धारा 6-ख का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा संक्षिप्त नाम। (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, धारा 3 का 1971 का 8 उपधारा (1) में, “बीस” शब्द के स्थान पर “तीस” शब्द रखा जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, “पैंतीस” शब्द के स्थान पर धारा 4-ख “साठ” शब्द रखा जाएगा।

4. मूल अधिनियम की धारा 4-खख में, “पांच” शब्द के स्थान पर धारा 4-खख “दस” शब्द रखा जाएगा।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में, “दस” शब्द के स्थान पर “पन्द्रह” शब्द रखा जाएगा।

6. मूल अधिनियम की धारा 6-ख की उपधारा (1) में, “अठारह” शब्द धारा 6-ख के स्थान पर “बाईस” शब्द रखा जाएगा।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अर्थ के अन्तर्गत एक धन विधेयक है।

शिमला-171004.

दिनांक : 14/09/2013

शिमला, १५ अगस्त २०१३

हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

मैं इस विषयक पर अनुमति देती हूँ

शिमला-171002.

दिनांक : 9-8-2013

उम्मीदवाली

राज्यपाल
राज्यपाल

हिमाचल प्रदेश

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 35 OF 2013

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES
AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2013**

(As Passed by the Legislative Assembly)

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES
AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2013**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4-B.
4. Amendment of section 4-BB.
5. Amendment of section 5.
6. Amendment of section 6-B.

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY
(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS)
AMENDMENT BILL, 2013**

(As Passed by the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follow:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2013. Short title.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in sub-section (1), for the word “twenty”, the word “thirty” shall be substituted. Amendment of section 3.


3. In section 4-B of the principal Act, for the words “thirty five”, the word “sixty” shall be substituted. Amendment of section 4-B.

4. In section 4-BB of the principal Act, for the word “five”, the word “ten” shall be substituted. Amendment of section 4-BB.


5. In section 5 of the principal Act in sub-section (2), in the first proviso, for the word “ten”, the word “fifteen” shall be substituted. Amendment of section 5.

6. In section 6-B of the principal Act, in sub-section (1), for the figures and sign “18,000”, the figures and sign “22,000” shall be substituted. Amendment of section 6-B.

में, "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 35)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।


राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 35)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।


जयंत सिंह
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।